कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं0– 616/16-17 /

वाद का प्रकारः– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
03.11.2020	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–03 खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांकः– 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0–914/रा0, दिनांकः–09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भुमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी ।जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा......भाटिमा......थाना नं0 166 खाता नं0......42......खेसरा नं0......–......रकबा......0.50......एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास ,अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी– II के जिल्द संख्या......I......के पृष्ठ संख्या 46 पर जमाबंदी रैयत......ओला मुण्डा...... ......पिता/पति......सुकरा मुण्डा...... के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशांसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 10/11/2020 को रखें। लेखापति एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
02.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत भोसा मुण्डा पिता सुकरा मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है , जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा जरिया, थाना नं0 166 के सर्वे खतियान में खाता सं0 42 रकबा 0.50 एकड़ भूमि गैरमजुरूआ खास परती कदीम दर्ज है। राजस्व मांग पंजी ii में भाग I पृष्ट सं0 46 खाता सं0 42 रकबा 0.50 एकड़ भूमि भोसा मुण्डा पिता सुकरा मुण्डा के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। जमाबंदी वर्ष 1969—70 दर्ज हुआ है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती / जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल—कब्जा नहीं है। तथा रैयत मौजा जरिया में नहीं रहते हैं। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा जरिया, थाना नं0 166 खाता सं0 42 रकबा 0.50 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत भोसा मुण्डा पिता सुकरा मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा जरिया, थाना नं0 166 खाता सं0 42 रकबा 0.50 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	